न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 59/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
राजपूत समाज सेवा संस्थान सिरोही जरिये अध्यक्ष नारायणसिंह पुत्र सोहनसिंह सिंदल जाति राजपूत आयु 73 वर्ष पेशा रिटायर्ड निवासी नयावास सिरोही तहसील व जिला सिरोही		1– नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह चौहान 2– प्रवीणसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह चौहान 3– प्रदीपसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह चौहान सभी आयु व्यस्क जाति राजपूत निवासी संतोषी माता मंदिर के पास सिरोही 4– भवानीसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंहजी चौहान 5– ईश्वरसिह पुत्र स्व.गणपतसिंह जी चौहान 6– हमीरसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंहजी चौहान 7– इन्दरसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंहजी चौहान 8– महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंहजी चौहान सभी निवासी सादुलपुरा सारणेश्वरजी रोड सिरोही 9– शिवसिंह पुत्र परबतसिंह जी चौहान जाति राजपूत आयु 51 वर्ष निवासी लक्ष्मीनगर मकान 9नं. 31 जी के.पी.स्कूल के सामने सिरोही 10–लालसिंह पुत्र स्व. परबतसिंहजी चौहान जाति राजपूत नि. अनादरा चौराहा शान्तिनगर सिरोंही 11– बिशनसिंह पुत्र स्व. परबतसिंहजी चौहान जाति राजपूत आयु 40 वर्ष ईदगाहरोड सिरोही 12– शकुन्तला देवी पत्नी स्व. परबतसिंहजी आयु 74 वर्ष जाति राजपूत निवासी अनादरा चौराहा शान्तिनगर सिरोही 13– प्रभूसिंह पुत्र स्व. पनेसिंह चौहान जाति राजपूत आयु 77 वर्ष निवासी सिरोही केयर आफ दीपकसिंह चौहान चौहान स्टुडियों प्लाटनं. 7 व 8 राम मंदिर कोटा जंक्शन 324002 राज. 14–निरंजनसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंहजी चौहान जाति राजपूत निवासी घांची मोहल्ला तहसील कार्यालय के पास आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही 15– [illegible] पुत्र नारायणसिंह चौहान जाति राजपूत आयु 46 वर्ष निवासी घांची मोहल्ला तहसील कार्यालय के पास आबूरोड तहसील तहसील आबूरोड जिला [illegible]

न्यायालय सहायक कलेक्टर ★ सिरोही (राज०) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

16–सज्जनदेवी पत्नी नारायणसिंहजी चौहान
जाति राजपूत आयु 75 वर्ष निवासी
घांची मोहल्ला तहसील कार्यालय के पास
आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही
17– राज. राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– वादी की ओर से विद्वान वकील श्री सुरेशकुमार शाह
2– प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान वकील श्री धीमान खत्री

राजस्व वाद अ.धा. 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा

निर्णय दिनांक 4/12/-2020

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 तक का वास्ते प्राप्त करने खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का इस न्यायालय मे दिनांक 14–10–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि शहर सिरोही पटवार हल्का सिरोही । तहसील व जिला सिरोही मे खसरा नंबर 1463 क्षैत्रफहल 0.3100 हैक्टेयर किस्म बा.I, खसरा नंबर 1464 क्षैत्रफल 0.2200 हैक्टेयर किस्म बंजर, खसरा नंबर 1466 क्षैत्रफल 0.3400 हैक्टेयर किस्म बारानी । कुल किता 3 कुल रकबा 0.8700 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार धरमा पुत्र जगता जी जाति राजपूत निवासी सिरोही के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। धरमा पु जगताजी का स्वर्गवास दिनांक 28–1–1964 को शहर सिरोही मे हो चुका है तथा धरमाजी को धरमसिंह के नाम से भी पुकारा जाता था वास्ते सबूत हेतू मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है स्व. धरमाजी उर्फ धरमसिंह नाऔलाद फौत हुये थे और उन्होने अपनी जिन्दा अवस्था मे आज से करीबन 60 वर्ष्र पूर्व अपनी स्वेच्छित अवस्था मे उक्त कृषि भूमि का दान वादी को किया था तब से लगाकर वादी का लगातार निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है जिसकी जानकारी उनके निकटतम रिश्तेदार व वारिसदार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 को पूर्ण रूपेण भली भांति रूप से ज्ञात है एवं उक्त कृषि भूमि राजपूत समाज सेवा संस्थान के उपयोग व उपभोग मे आज दिन तक चली आ रही है एवं स्वर्गीय धरमाजी के वारिसान ने वादी के पक्ष मे बक्षीस/दान की स्वीकृति लिखत के प्रस्ताव रजिस्टर मे भी अपने दस्तखत कर इसकी पुष्टि की है। स्वर्गीय धरमाजी उर्फ धरमसिंह के वारिसदार मे उसकी वंशावली निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

मदनसिंह गणपतसिंह परबतसिंह विजयसिंह

(फौत) (अविवाहित फौत)

नरेन्द्र सिंह प्रवीण सिंह प्रदीप सिंह

भवानी सिंह ईश्वर सिंह हमीर सिंह इन्द्रर सिंह महेन्द्र सिंह शिवसिंह लालसिंह किशनसिंह शकुन्तला (बेवा पत्नी)

उपरोक्त वंशावली अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 स्वर्गीय धरमा उर्फ धरमसिंह के निकटतम रिश्तेदार व वारिसदार है इनके अलावा अन्य कोई वारिसदार नही है। और इन वारिसानों की यानि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 की जानकारी मे वादी का उपरोक्त वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे निरन्तर, लगातार व शान्तिपूर्वक गत 60 वर्षो से कब्जा है जिससे एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार विधि मे हो चुका है। वादी का बिनाय वाद वाद के इस कथन पर आधारित है कि स्वर्गीय धरमा पुत्र जगताजी ने अपनी जिन्दा हालत मे गत 60 वर्षो पहिले जुबानी रूप से वादी को उपरोक्त वाद्रग्रस्त कृषि भूमि दान/बक्षीस /भेट स्वरूप दी थी तब से लगातार आज दिन तक मौके पर वादी का कब्जा है एवं स्वर्गीय धरमा उर्फ धरमसिंह के निकटतम रिश्तेदार व वारिसदार व उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 मे की जानकारी मे बिना किसी रूकावट के शान्तिपूर्वक लगातार काबिज होने से वादी का यह वाद वास्ते खातेदारी हेतु धारा 88 राजसथान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत करने का कारण बना है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के नाम से नही होकर स्वर्गीय धरमा पुत्र जगताजी के नाम से होने से यह वाद प्रस्तुत करने का कारण बना है। उपरोक्त कृषि भूमि समाज राजपूत सेवा संस्थान के उपयोग व उपभोग मे कदीमी से ली जा रही है। जिसमे किसी व्यक्ति विशेष का कोई हक हिस्सा नही है। राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी संख्या 17 बनाया है। अतः वादी का यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बाद सुनवाई पक्षकारान के वादी के पक्ष मे वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा की डिक्री जारी करवाना फरमावें।

वादी द्वारा वादपत्र के साथ फोर्म नंबर 3 मे वर्णित प्रस्तुत दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही I की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या नया 149 खसरा नंबर 1463, 1464, 1466 किता 3 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर की प्रति, बैठक प्रस्ताव दि 25–9–2019, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 26.2.2013 नगर परिषद सिरोही की प्रति, अध्यक्ष के नाम जारी पत्र वकील नियुक्ति बाबत 20–9–2019, बैठक प्रस्ताव नियुक्ति वकील हेतु दावा प्रस्तत करने हेतू की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो वादपत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने से दिनांक 14–10–2019 को वाद इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर कर वकील प्रतिवादीगण को जवाबदावा पेश करने हेतु समन जारी किये गये जिस पर प्रतिवादीगण को सम्मन तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। विचारण वाद प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 6–1–2020 को प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक तथा 13 तथा 14 से 16 तक की ओर से वकील श्री धीमान खत्री ने तीन अलग अलग वकालतनामे मय उक्तानुसार जवाबदावे अलग अलग पेश किये है जिन्हे शा.मि. किया गया ।

उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 तक ने अलग अलग संयुक्त हस्ताक्षरित जवाबदावे मे वादी के वाद पद संख्या 1 से 7 तक के [illegible] किया है तथा शेष वाद पद संख्या 8 से 13 तक के कथनो को कानूनी होने से न्यायालय के गौर [illegible] बताते हुये यह निवेदन किया कि वादी के पक्ष मे उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी [illegible] की डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपत्ति नही है। इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 18–8–2020 को दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 17 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने [illegible] दिनांक 17–7–2020 का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

प्रतिवादी संख्या 17 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाबदावे मे यह कथन किया है कि मौजा सिरोही I की जमाबंदी संवत 2070 से 2075 के खाता संख्या 149 अनुसार खसरा नंबर 1463, 1464,

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

क्रमशः 0.31 हैक्टेयर, 0.22 हैक्टेयर, 0.34 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षैत्रफल 0.87 हैक्टेयर धरमा पुत्र जगता जाति राजपूत सा.देह के नाम से खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी नकल संलग्न है। शेष बिन्दु संख्या 2 का जवाब बिन्दु संख्या 1 अनुसार है तथा वाद पत्र के पद संख्या 3 से 7 का कथन वादी स्वंय सिद्व करना बताया तथा वाद पत्र के पद संख्या 8 से 13 का कथन माननीय न्यायालय के गौर तलब होना बताया है। प्रकरण मे प्रतिवादीगण का एडमिटेड जवाबदावा होने से तनकीयात कायम नही की गई ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 27–10–2020 को दौराने सनुवाई पत्रावली देखने पर पाया कि पत्रावली के संलग्न स्थानीय राष्ट्रीय अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 11–12–2019 मे प्रकाशित सम्मन मुददई राजपूत सेवा संस्थान सिरोही बनाम मुद्दायल्लाह नरेन्दसिंह वगैरहा मे वादग्रस्त कृषि भूमि किस खसरा नंबर तथा कहॉ पर स्थित है, का उल्लेख नही है। अतः वकील वादी को आदेशित किया जाता है कि वादी अपने अपने खर्चे से स्थानीय दैनिक राष्ट्रीय अखबार मे प्रकाशान हेतु नये सर सम्मन इस आशय का भरकर पेश करें कि वादग्रस्त कृषि भूमि शहर सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम के खसरा नंबर 1463 क्षैत्रफल 0.3100 हैक्टेयर खसरा नंबर 1464 क्षैत्रफल 0.2200 हेक्टेयर खसरा नंबर 1466 क्षैत्रफलल 0.3400 हैक्टेयर किता 3 कुल क्षैत्रफल 0.8700 हैक्टेयर पर खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा की डिक्री वादी राजपूत समाज सेवा संस्थान ने अपने पक्ष मे पारित करने का निवेदन किया है इसका उल्लेख सम्मन मे अवश्य करें। वकील वादी उक्त अखबार मे सम्मन प्रकाशित करवाकर अखबार की प्रति पेश करें। उक्तानुसार वकील वादी नये सर प्रकाशन वास्ते सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते सुनवाई न्यायालय मे दिनांक 24–11–2020 को रखी गई।

दिनांक 24–11–2020 को विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को सम्मन प्रकाशन की सूचना जरिये राष्ट्रीय दैनिक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 6–11–2020 शुक्रवार में सम्मन प्रकाशित कराकर उक्त अखबार की प्रति पेश की है जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी मे नारायणसिंह पुत्र सोहनसिंह सिंदल जाति राजपूत उम्र 73 वर्ष रिटायर्ड नौकरी निवासी नयावास सिरोही ने हाजिर होकर साक्ष्य वादी के रूप मे अपना शपथ पत्र वकील वादी के माध्यम से न्यायालय मे पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी श्री नारायणसिंह ने अपने शपथ पत्र मे यह कथन किया है कि शहर सिरोही में खसरा नंबर 1463, 1464, 1466 किता 3 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर कृषि भूमि आयी हुई है जिसकी खातेदारी धरमा पुत्र जगता जाति राजपूत निवासी सिरोही के नाम की चली आ रही है जिसकी जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है जो संलग्न प्रर्दश–1 है। तथा धरमा पुत्र जगता जी का स्वर्गवास दिनांक 28–1–1964 को हुआ था जिसकी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रर्दश–1 है। स्व.धरमा उर्फ धरमसिंह नाऔलाद फौत हुये थे और उन्होने अपनी जिन्दा अवस्था मे उपरोक्त विवादित कृषि भूमि राजपूत समाज सेवा संस्थान सिरोही को बक्षीस/भेट की थी जिसकी जानकारी उनके निकटतम रिश्तेदार व वारिसदार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 को भलीभांति रूप से ज्ञात है तथा उक्त भेट स्व.धरमाजी ने आज से अन्दाजन साठ वर्ष पूर्व सेवा संस्थान को भेट की थी तब से कब्जा राजपूत सेवा संस्थान का निरन्तर शान्तिपूर्वक लगातार प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की जानकारी मे चला आ रहा है। स्व.धरमाजी के निकटतम वारिसदारान ने वादी के समाज के प्रस्ताव रजिस्टर मे भी अपने दस्तखत कर इसकी पुष्टि की हुई है जो प्रर्दश बैठक प्रस्ताव प्रर्दश सं. 3 है एवं बैठक प्रस्ताव के माध्यम से मुझ अध्यक्ष को वकील नियुक्त करने व उचित कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया हुआ है जिसका पत्र प्रर्दश–4 है एवं बैठक प्रस्ताव प्रर्दश–5 है। मै पुनः शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के उक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमि पर वादी राजूपत समाज सेवा संस्थान का ही कब्जा चला आ रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे समाज के नाम पर खातेदारी नही होने पर यह दावा प्रस्तुत किया है जो सही है तथा इस शपथपत्र को दावा का ही अंग व भाग समझा जावें। न्यायालय मे दौराने सुनवाई अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष साक्ष्य वादी नारायणसिंह ने इस शपथपत्र मे अंकित पैरा संख्या 1 से 4 तक के कथनो को सही होना स्वीकार किया है तथा इस शपथपत्र पर स्वंय नारायणसिंह ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। वकील वादी ने जमाबंदी एक्जीबीट –1 बैठक दिनांक 25–9–2019 एक्जीबीट –3 मृत्यु प्रमाण पत्र एक्जीबीट–2 प्रस्ताव संख्या–4 राजपूत समाज सेवा संस्थान सिरोही बैठक दिनांक 15–4–2018 एक्जीबीट–5 कराये। उक्त शपथ पत्र पर जिरह :–द्वारा प्रतिवादीगण हाजिर नही होने से शुन्य रही है। विचाराधीन वाद मे प्रतिवादीगण का स्वीकारोक्ति जवाबदावा होने से न्यायालय द्वारा तनकीयात बनाने की आवश्यकता नही होने से वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा विचाराधीन वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट पर सीधी अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने वकील उभयपक्षकारान की अंतिम बहस पर मनन किया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 149 खसरा नंबर 1463, 1464, 1466 कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

धरमा उर्फ धरमसिंह पि. जगताजी के नाम खातेदारी में दर्ज है। उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा जारी रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु नगरपरिषद सिरोही जारी दिनांक 26.2.2013 के अनुसार धर्मसिंह पुत्र जगतसिंह चौहान की मृत्यु दिनांक 28.1.1964 को सिरोही में होना प्रकट होता है। लगभग 56 वर्ष के लम्बे समय बाद भी खातेदार की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण आज दिनांक तक दायर नहीं किया जा सका है और न ही उस कारण राजस्व रिकार्ड जमाबंदी को अद्यतन किया जा सका है। वंशावली अनुसार मृतक खातेदार के वारिसानों को रिकार्ड पर लिया गया है एवं उक्त समस्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद कर स्वीकार किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार भी मृतक खातेदार द्वारा अपनी जीवीत अवस्था में नाऔलाद फौत होने से पूर्व उक्त भूमि राजपूत समाज सेवा संस्थान सिरोही को जुबानी रूप से दान/बख्शीश/भेंट में दिया जाना अंकित किया है तब से लगातार आदिनांक मौके पर वादी का कब्जा है जिसकी जानकारी मृतक धरमाजी के निकटतम रिश्तेदार व वारिसदारों प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 की जानकारी में होते हुये बिना रूकावट के शांतिपूर्वमक लगातार काबिज है जिसकी पुष्टि स्वर्गीय धरमाजी के वारिसान ने वादी के पक्ष में बख्शीश/दान की स्वीकृती लिखत के प्रस्ताव रजिस्टर में भी अपने दस्तखत कर इसकी पुष्टि की है। प्रकरण में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में उजरात बाबत सम्मन का प्रकाशन भी करवाया गया लेकिन आदिनांक तक किसी प्रकार की आपत्ति या दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। भूमिधारी तहसीलदार सिरोही के जवाब दिनांक 17.7.2020 के अनुसार स्टेट फार्मल पक्षकार होने से किन्ही विशेष तथ्यों का उल्लेख नही किया गया है। वादी का वादग्रस्त आराजी पर 12 वर्ष से अधिक अवधि से मौके पर काबिज होने के कथन एवं प्रतिवादीगण द्वारा इसकी स्वीकारोक्ति से वादी को वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस कारण वादी वादग्रस्त आराजी पर वादी खातेदारी धोषणा की डिक्री प्राप्त करने के हकदार है। वादी को वादग्रस्त कृषि आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तो राजहित भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही होगा। उपरोक्त आधार पर वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रथम दृष्टयॉ मामला प्रमाणित है।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर वादी का यह वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण नरेन्द्रसिंह वगैरह बाबत खातेदारी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी राजपूत समाज सेवा संस्थान सिरोही जरिये अध्यक्ष को सिरोही शहर मे स्थित पटवार मण्डल सिरोही I में स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा नंबर 1463, 1464, 1466 कमशः रकबा 0.31 हेक्टेयर, 0.22 हेक्टेयर व 0.34 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8700 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भूमिधारी सिरोही को निर्देश दिये जाते है कि नामान्तकरण कार्यवाही से पूर्व वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार कन्वेन्स की दर से स्टाम्प डयूटी उपपंजीयक कार्यालय सिरोही में जमा करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 4-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकदमें ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

वादी

राजपूत समाज सेवा संस्थान सिरोही
जरिये अध्यक्ष नारायणसिंह पुत्र सोहनसिंह
सिंदल जाति राजपूत आयु 73 वर्ष पेशा
रिटायर्ड निवासी नयावास सिरोही
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण

1– नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह चौहान
2– प्रवीणसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह चौहान
3– प्रदीपसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह चौहान
सभी आयु व्यस्क जाति राजपूत निवासी
संतोषी माता मंदिर के पास सिरोही
4– भवानीसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंहजी चौहान
5– ईश्वरसिह पुत्र स्व.गणपतसिंह जी चौहान
6– हमीरसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंहजी चौहान
7– इन्दरसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंहजी चौहान
8– महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंहजी चौहान
सभी निवासी सादुलपुरा सारणेश्वरजी रोड सिरोही
9– शिवसिंह पुत्र परबतसिंह जी चौहान जाति
राजपूत आयु 51 वर्ष निवासी लक्ष्मीनगर
मकान 9नं. 31 जी के.पी.स्कूल के सामने सिरोही
10–लालसिंह पुत्र स्व. परबतसिंहजी चौहान
जाति राजपूत नि. अनादरा चौराहा
शान्तिनगर सिरोंही
11– बिशनसिंह पुत्र स्व. परबतसिंहजी चौहान
जाति राजपूत आयु 40 वर्ष ईदगाहरोड सिंरोही
12– शकुन्तला देवी पत्नी स्व. परबतसिंहजी
आयु 74 वर्ष जाति राजपूत निवासी
अनादरा चौराहा शान्तिनगर सिरोही
13– प्रभूसिंह पुत्र स्व. पनेसिंह चौहान जाति
राजपूत आयु 77 वर्ष निवासी सिरोही
केयर आफ दीपकसिंह चौहान
चौहान स्टुडियों प्लाटनं. 7 व 8 राम मंदिर
कोटा जंक्शन 324002 राज.
14–निरंजनसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंहजी चौहान
जाति राजपूत निवासी घांची मोहल्ला
तहसील कार्यालय के पास आबूरोड
तहसील आबूरोड जिला सिरोही
[illegible]सिंह पुत्र नारायणसिंह चौहान जाति
राजपूत आयु 46 वर्ष निवासी घांची मोहल्ला
तहसील कार्यालय के पास आबूरोड तहसील
तहसील आबूरोड जिला सिरोही
16–सज्जनदेवी पत्नी नारायणसिंहजी चौहान
जाति राजपूत आयु 75 वर्ष निवासी
घांची मोहल्ला तहसील कार्यालय के पास
आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही
17– राज. राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

राजस्व वाद सं. 59/2019

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट 1955 के तहत

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही उपस्थित वादी वकील श्री सुरेशकुमार शाह तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 16 तक की ओर से वकील श्री धीमान खत्री । वकील वादीगण व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन करने तथा विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय वादपत्र व जवाबदावा तथा राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उन पर मनन करने व सम्पूर्ण प्रकरण के विश्लेषण व विवेचन करने के उपरान्त वादी का यह वाद अ.धा. 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण नरेन्द्रसिंह वगैरह बाबत खातेदारी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी राजपूत समाज सेवा संस्थान सिरोही जरिये अध्यक्ष को सिरोही शहर मे स्थित पटवार मण्डल सिरोही I मे स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा नंबर 1463 ,1464 ,1466 क्रमशः रकबा 0.31 हेक्टेयर ,0. 22 हेक्टेयर व 0.34 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8700 हेक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भूमिधारी सिरोही को निर्देश दिये जाते है कि नामान्तकरण कार्यवाही से पूर्व वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार कन्वेन्स की दर से स्टाम्प डयूटी उपपंजीयक कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें । वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना भुगते ।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 4-12-2020 मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालयं की मुहर से जारी की गई ।

मुद्वाई	रू	पैसे	मुद्वायलाह	रू	पैसे
स्टॉम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
मुतफरीक			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मौजान			मौजान		

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ)
सिरोही

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested